

RR No. 1426
5-10-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक : 22 SEP 2011

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.7.2011 तथा 23.8.2011 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी प्रथम/द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम व पद	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	श्री. मधुसूदन शर्मा आरएएस निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर	61/05 द्वितीय श्रेणी	एम-14, गांधीनगर	31.1.2016
2.	श्री विनेश सिधवी विशेषाधिकारी आयोजना ग्रुप-4 विभाग शासन सचिवालय जयपुर	1/08 द्वितीय श्रेणी	II-39 गांधीनगर जयपुर	30.6.2030
3.	श्री नवीन जैन आईएएस आयुक्त भू-प्रबंधक विभाग, राजस्थान जयपुर	13/2011 प्रथम श्रेणी	एन-26 गांधीनगर जयपुर	30.4.2035

आज्ञा से

(गिनफूल बरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संग्रामीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी कार्मिक (क-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
9. शासन उप सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. अधिसापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0विभाग लि0 गांधीनगर जयपुर।
12. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. श्री. मधुसूदन शर्मा आरएएस निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की तिथि से नियम 11(III) ए के तहत छः माह पश्चात् गांधीनगर, जयपुर हेतु विचारणीय होगा।
16. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि.।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव